भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 958

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

एनसीएलएटी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की समय-सीमा

958. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री सनातन पांडेयः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (किसी कंपनी के पुनर्निर्माण अथवा विलय) और धारा 232 (विलय या पुनर्निर्माण के पश्चात् कंपनी की स्थिति) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;
(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि समय पर अभ्यावेदन दाखिल नहीं किए जाने के कारण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं;
(ग) यदि हां, तो एनसीएलएटी के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है और समय पर अभ्यावेदन नहीं दाखिल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए प्रावधान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): प्रादेशिक निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की 232(1) के साथ पठित धारा 230(5) के धारा अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं ताकि वे विलय और समामेलन की प्रकृति सहित समझौते और व्यवस्थाओं की किसी भी प्रस्तावित योजना के लिए फाइल की गई याचिकाओं के संबंध में प्राप्त सांविधिक नोटिसों के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की संबंधित पीठों के समक्ष अभ्यावेदन दे सकें।

कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 8 के साथ पठित की धारा 232 (1) के साथ पठित धारा 230(5) के प्रावधान नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समय सीमा तय करते हैं, जिसके भीतर प्रादेशिक निदेशकों द्वारा एनसीएलटी को अभ्यावेदन भेजा जाएगा, जिसमें विफल होने पर यह माना जाएगा कि उनके पास करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), एनसीएलटी द्वारा पारित सभी आदेशों के खिलाफ अधिनियम की धारा 421 के तहत अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है और इस तरह उपरोक्त संदर्भित धाराओं के तहत योजनाओं से निपटने के लिए उनके पास मूल शक्तियां नहीं हैं। वर्तमान में, एनसीएलएटी के समक्ष ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जहां उत्तर फाइल करने की आवश्यकता हो या समय के भीतर फाइल न किया गया हो।

अधिनियम के सभी प्रावधानों के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए प्रादेशिक कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं जिनमें धारा 230 और 232 के अंतर्गत एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष अभ्यावेदन फाइल करना आवश्यक है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****